न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
बईजलास श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

अपील संख्या – 167/2014

महेन्द्र पुत्र स्व. श्री देवकीलाल जाति महाजन निवासी सुजातनगर तहसील कोटपूतली हाल आबाद पालम कालोनी नई दिल्ली

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटपूतली प्रशासन स्थापना एवं स्थाई समिति जिला जयपुर राजस्थान

2. ग्राम पंचायत भैसलाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भैसलाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

3. परसराम पुत्र महादेव प्रसाद जाति महाजन निवासी सुजातनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

–गैर याची

4. महावीर

5. दामोदर

6. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. देवकीलाल

समस्त जाति महाजन निवासी सुजातनगर तहसील कोटपूतली हाल आबाद पालम कॉलोनी नई दिल्ली

–तरतीबी गैर याचिगण

निगरानी विरूद्ध आदेश एवं पटटा दिनांक 05.04.2004 पटटा संख्या 22 मिसल नम्बर 7 ग्राम पंचायत भैसलाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर व निर्णय पचांयत समिति कोटपूतली दिनांक 09.09.2014

निर्णय दिनांक : 25.7.16

वकील निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता के दादा श्री रामगोपाल पुत्र सीताराम महाजन जिनके लडके एवं वारिस निगरानीकर्ता के पिता श्री देवकीलाल थे। जिन्होने एक दुकान मय हक पैडा, छत, जीना झूंथ पुत्र गोरीसहाय महाजन निवासी दांतिल से खरीद की थी। जिसकी सीमान्त स्थिति उत्तर में खाली जमीन सरकारी, पश्चिम में रास्ता, पूर्व में खण्डर मकान व दक्षिण में पेडा बाद में दुकान गैर याचि के पिता महादेव प्रसाद की थी। कालान्तर में महादेव फौत हो गया उनके लडके परशराम महाजन गैर याचि ने ये पेडा व दुकान निगरानीकर्ता के दादा झुंथ पुत्र गोरीसहाय महाजन

अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

दुकान, पेडे एवं स्वंय की तीनो दुकानो को मिलाकर सम्पूर्ण दुकान पैडा आदि का पटटा ग्राम पंचायत भैसलाना से अनाधिकृत रूप से प्राप्त कर लिया। जिसकी जानकारी होने पर पंचायत समिति में अपील दायर की जिसे दिनांक 09.09.2014 को खारिज फरमा दिया जिससे व्यथित हो कर उक्त निगरानी पेश की इसलिए निवेदन है कि ग्राम पंचायत को स्वंय की भूमि के पटटे देने का अधिकार है निजी खरीदशुदा दुकान व मकान का पटटा देने का अधिकार नही है। अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की दुकान का पटटा ग्राम पंचायत गैरयाचि के हक में जार कर दिया जो काबिले खारिज है। दुकान व पेडा निगरानीकर्ता ने सन 1962 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। फर्जी पटटा के सम्बन्ध में एक एफ.आई.आर. पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई थी जिसकी चार्ज शीट पेश हो चुकी है। अतः पटटा खारिज फरमा कर समुचित आदेश पारित करे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 की ओर से श्री पी.के. जोशी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा गैरयाचि संख्या 1 स्वंय उपस्थित आये। शेष बावजुद तामील उपस्थित नही आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

गैरयाचि संख्या 1 ने अपने जबाब में कथन किया कि मिस्ल संख्या 7/2004 श्री परसमल महाजन पुत्र महादेव निवासी सुजातनगर के नाम कुल भूमि 57.78 वर्ग गज ग्राम पंचायत भैसलाना द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 6 दिनांक 25.10.2004 नियम 157 व 158 पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के अन्तर्गत जारी किया गया। परसमल ने दिनांक 05.04. 2004 को ग्राम पंचायत भैसलाना ने वर्णित भूमि व पुख्ता मकान दर्शाकर आवेदन किया है। जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुये हल्का पटवारी, रिपोर्ट पंच मौका रिपोर्ट, आपत्ति नोटिस जारी करते हुये पटटा पत्रावली में आवश्यक कागजात शामिल किये। उक्त पटटा जारी होने से पूर्व ही प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा दिनांक 26.09.1962 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदशुदा है। जिसका तथ्य छुपाकर श्रीपारसमल ने ग्राम पंचायत को गुमराह करते हुये पटटा आवेदन किये एवं पटटा प्राप्त किया जो खारिज योग्य है। पारसमल के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 249/14 अन्तर्गत धारा 420., 467, 468, 120 बी में प्रागपुरा थाना में दर्ज है। जिसमें राजीनामा प्रस्तुत हुआ है एवं पारसमल ने इसमें तथ्य छुपाना कबुल किया है। इसलिए उक्त पटटा कतई खारिज योग्य है। अतः जबाब श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरयाचि संख्या 2 व 3 ने बिना जबाब दिये सीधी बहस किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस सुनी। वकील निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि निगरानीकर्ता के दादा झुंथा पुत्र गोरीसहाय महाजन से दिनांक 26.09.1962 को दुकान हक पेडा, छत व जीना खरीद की थी। जिस पर निगरानीकर्ता के पिता श्री देवकीलाल बैठकर अपना व्यवसाय करते थे। कालान्तर में व्यवसाय के सिलसिले में निगरानीकर्ता बाहर चले गये तथा गैर याचि की नियत में फर्क आ गया। उसने निगरानीकर्ता द्वारा खरीदशुदा दुकान, पेडे एवं स्वंय की तीनो दुकानो को मिलाकर सम्पूर्ण दकान पैडा आदि का पटटा ग्राम पंचायत भैसलाना से अनाधिकृत रूप से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

है। फर्जी पटटा के सम्बन्ध में एक एफ.आई.आर. पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई थी जिसकी चार्ज शीट पेश हो चुकी है। अतः पटटा खारिज फरमाने की कृपा करे।

गैर याचि संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि मिस्ल संख्या 7/2004 श्री परसमल महाजन पुत्र महादेव निवासी सुजातनगर के नाम कुल भूमि 57.78 वर्ग गज ग्राम पंचायत भैसलाना द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 6 दिनांक 25.10.2004 नियम 157 व 158 पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के अन्तर्गत जारी किया गया। परसमल ने दिनांक 05.04. 2004 को ग्राम पंचायत भैसलाना ने वर्णित भूमि व पुख्ता मकान दर्शाकर आवेदन किया है। जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुये हल्का पटवारी, रिपोर्ट पंच मौका रिपोर्ट, आपत्ति नोटिस जारी करते हुये पटटा पत्रावली में आवश्यक कागजात शामिल किये। उक्त पटटा जारी होने से पूर्व ही प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा दिनांक 26.09.1962 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदशुदा है। जिसका तथ्य छुपाकर श्रीपारसमल ने ग्राम पंचायत को गुमराह करते हुये पटटा आवेदन किये एवं पटटा प्राप्त किया जो खारिज योग्य है। पारसमल के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 249/14 अन्तर्गत धारा 420., 467, 468, 120 बी में प्रागपुरा थाना में दर्ज है। जिसमें राजीनामा प्रस्तुत हुआ है एवं पारसमल ने इसमें तथ्य छुपाना कबुल किया है। इसलिए उक्त पटटा कतई खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट/गैर याचिका कर्ता संख्या 3 ने ग्राम पंचायत को गुमराह कर अन्य की खरीदशुदा भूमि का पटटा प्राप्त किया है जो नियम विरूद्ध है। गैर याचिका कर्ता द्वारा उपस्थित होकर पक्षकारान में बाहमी राजीनामा होना जाहिर कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार कर पटटा खारिज कर दिया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः निगरानीकर्ता निगरानी स्वीकार कर आदेश एवं पटटा दिनांक 05.04.2004 पटटा संख्या 22 मिसल नम्बर 7 ग्राम पंचायत भैसलाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर व निर्णय पचांयत समिति कोटपूतली दिनांक 09.09.2014 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.7.16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)